न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 43/2017/अपील

कमला देवी पुत्री गणेशाराम पत्नी बोदूराम जाति जाट निवासी जेरठी तहसील धोद हाल निवासी पतिगृह ग्राम कोलीडा तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम, 2. रामकुमार, 3. जगदीश — पुत्रगण गणेशाराम
4. भागीरथ पत्नी गणेशराम

समस्त जाति जाट निवासीगण जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।

5. मूलीदेवी पुत्री गणेशराम पत्नी पीथाराम जाति जाट निवासीनी जेरठी तहसील धोद हाल निवासी पतिगृह ग्राम भूखरों का बास तहसील धोदह जिला सीकर।
6. नारायणी देवी पुत्री गणेशराम पत्नी जवाहराराम जाति जाट निवासिनी जेरठी तहसील धोद हाल निवासी पतिगृह ग्राम भूखरों का बास तहसील धोद जिला सीकर।
7. तहसीलदार तहसील सीकर (वर्तमान तहसील धोद)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 19.06.1992 ग्राम जेरठी पटवार हल्का कूदन द्वारा तहसीलदार सीकर (वर्तमान तहसील धोद)

वकील अपीलांट श्री बजरंगसिंह राजपूत

निर्णय **दिनांकः—05.01.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मृतक गणेशाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी जेरठी तहसील सीकर (वर्तमान तहसील धोद) के नाम से ग्राम जेरठी पटवार हल्का कूदन तहसील सीकर (वर्तमान तहसील धोद) की तन में भूमि खसरा नम्बर 470 रकबा 3.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 497 रकबा 3.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 499 रकबा 2.71 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 10.25 हैक्टर स्थित थी। खातेदार गणेशराम की मृत्यु सन् 1992 के आसपास हो गई थी। जिससे मृतक की खातेदारी की भूमियों का खाता विरासत के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 19.06.92 को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाायत 4 के नाम से खोल दिया गया। जबकि मृतक खातेदार गणेशराम के अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 भी प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस थे। कानूनन मृतक की मृत्यु के पश्चात् सभी वारिसान बाबत जांच की जाकर विरासत का नामांतकरण खोला जाना चाहिए था। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 को नामांतकरण तस्दीक किये जाने बाबत कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही मौके पर जाकर कब्जे, काश्त बाबत जानकारी ली गई, ना ही मजमा आम में नामांतकरण स्वीकार किया गया। बल्कि इकतरफा में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 को सुनवाई का समुचित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत नामांतकरण रेस्पोंडेंट संख्या 7 से स्वीकार करवा लिया गया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6 मृतक गणेशाराम के वैध वारिसान है, जिनका उनके मृतक पिता की खातेदारी की भूमियों में हक हिस्सा बनता है, जिससे उनको कानूनन वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 123 दिनांक 17.06.1992 खारिज किया जाकर मृतक के कानूनी वारिस बाबत सही जांच की जाकर मृतक के सभी वारिसान के नाम से विवादित भूमियों का नामांतकरण स्वीकार किये जाने बाबत आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट व रेस्पो. संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रिया है जिसका मृतक पिता की खातेदारी की भूमियों में हक हिस्सा बनता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय मृतक खातेदार की खातेदारी भूमियों का नामान्तकरण रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 के नाम से ही तस्दीक कर दिया जो कानूनन गलत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलांट व रेस्पो. संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार की पुत्रिया होने के सम्बंध में कोई साक्ष्य/सबूत/सजरा आदि उपलब्ध नहीं है एवं मृतक खातेदार की पुत्री होने के सम्बंध में परिचय पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की और से प्रस्तुत अपील में अपील मीमो के सलंग्न शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास तक नहीं किया, जिससे पृथम दृष्ट्या भी अपीलांट गणेशराम की पुत्री होना साबित हो। अतः इस दशा में यह साबित करना असंभव है कि अपीलांट व रेस्पो. संख्या 5 व 6 मृतक खातेदार गणेशराम की पुत्रिया है। अतः अपील साक्ष्य/दस्तावेज प्रमाणन के अभाव में पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/1/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official